

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

राजस्व प्रार्थना पत्र 18/2021

बनाराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट-1956 के तहत पोषणीय नहीं होने तथा साक्ष्य सबूतादि के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहतसक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है।

ह - : आदेश : -

यत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956के तहत पोषणीय नहीं होने तथा प्रार्थी के पक्ष में सम्पुष्ट नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक ...11/11/2021..... को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

*[Signature]*  
11/11/2021  
(रवीन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, जायल